

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक-प.7(1)राज-6 / 2016 / पार्ट/65

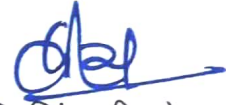
जयपुर, दिनांक-23.07.2026

परिपत्र

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.05.2025 के द्वारा विभागीय परिपत्र क्रमांक प.13(1)राज-1/2020 दिनांक 05.12.2023 को संशोधित कर जमाबंदी में सह खातेदारों में से किसी एक खातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किये जाने, जमाबंदी में एकल खातेदार होने पर संपूर्ण खसरे के आंशिक भाग का रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किये जाने अथवा पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के माध्यम से कृषि भूमि का विक्रय किये जाने पर स्वतः नामांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किये जाने के निर्देश दिए गए।

उक्त की गई व्यवस्था को प्रत्याहरित किया जाने का निर्णय लिया गया है। अतः परिपत्र दिनांक 27.05.2025 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है। विभाग का परिपत्र क्रमांक प.13(1)राज-1/2020 दिनांक 05.12.2023 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के स्वतः नामान्तरण प्रक्रिया को यथावत लागू किया जाता है।

आज्ञा से,



(हरि सिंह मीना)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग ।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर ।
6. आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
8. राज्य सूचना विभाग अधिकारी, NIC जयपुर ।
9. श्री विनोद कुमार जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर ।
10. श्री पवन कुमार ननकानी निदेशक (IT), राजस्व विभाग ।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्व मण्डल अजमेर ।
12. रक्षित पत्रावली ।



शासन उप सचिव